

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जैनपुर ।

सेवा में

प्रबन्धक,

दालिम्स सनबीम स्कूल अफलेपुर

बंगुली जैनपुर

पत्रांक/मान्यता/ 29059 /2018-19 दिनांक ४) ३।।९

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय,

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल बाराणसी के अनुमोदनोपरान्त उम्प्र० ३०५० शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग-६ ओदेश संख्या -४१९/७९-६-२०१३ -१८(२०)/९१ दिनांक ०८ मई २०१३ के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक ०७.०३.२०१९ के अनुक्रम में आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निर्णय के प्रति निर्देश से दालिम्स सनबीम स्कूल अफलेपुर बंगुली जैनपुर को ०८.०३.२०१९ से ०८.०३.२०२२ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नरसी से कक्षा ०८ तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की समूचना देता है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है -

१- मान्यता की मंजूरी विस्तारीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ०८ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवरित नहीं है।

२- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपांच १) और नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम २०१० (उपांच २) के उपरबंधों का पालन करेगा।

३- विद्यालय कक्षा ०१ में (या यथा स्थिति, नरसी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

४- पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा १२ की उपरबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए एक पृथक बैंक खाता हखेगा।

५- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

६- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा १५ के उपरबंधों को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

• प्रवेश दिये गये किसी भी पालन को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय में निष्कासित नहीं किया जायेगा।

• किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

• प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

• प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

• अधिनियम के उपरबंध के अनुसार निःशब्दशता प्रस्तु/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

• अध्यापकों की भर्ती की अधिनियम की धारा २३ (१) अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यामान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अंजित करेंगे।

• अध्यापक अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

• अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन-क्रिया कलायों में नियोजित नहीं करेंगे।

७- विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

८- विद्यालय अधिनियम की धारा १९ में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है -'

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल ।

कुल निर्मित क्षेत्रफल ।

कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल ।

कक्षाओं की संख्या ।

प्राथ्यापक-सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्ष ।

बालकों और बालिकाओं के पृथक शैक्षालय ।

पेय जल सुविधा ।

मीड-डे-मील पकाने के लिए रसोई ।

बाधा रहित पहुंच ।

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता ।

९- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये और नहीं चलाई जायेंगी।

PRINCIPAL
DALIMSS SUNBEAM SCHOOL
JAUNPUR

Tariya Zaineb Adhemi
MANAGER
DALIMSS SUNBEAM SCHOOL
JAUNPUR

- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं के प्रयोगानुसार के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लाक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के सम्बन्ध का संगम या किसी अन्य व्यवितयों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी घटाड़ एक्स्प्रेस द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए। और उसके द्वारा प्रभागित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक **X** है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय - समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत अनुपालन सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जायेगा।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18- मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात / अग्रिमेख किसी भी स्तर पर कूट रघित अथवा कर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 19- विद्यालय संचालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तन्त्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)
जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।


/2018-19 दिनांक-उक्तावत।

पृ०स०/मान्यता /
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- संचिव उ०प्र० बैसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक) पंचम मण्डल दाराणसी।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड / नगर बोर्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुन निरीक्षण कर ले और पूर्ण रूपये संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल विलिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्मित है। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल विलिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर ले, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र कियाशील तथा शासनादेश दिनांक 8.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताकारी को अवगत करायें।
- कार्यालय प्रति।

(राजेन्द्र सिंह)
जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।


PRINCIPAL
DALIMSS SUNBEAM SCHOOL
JAUNPUR


MANAGER
DALIMSS SUNBEAM SCHOOL
JAUNPUR